

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी,
सहारनपुर / रामपुर / अलीगढ़ / लखनऊ /
कानपुर नगर / चित्रकूट / प्रतापगढ़ / बाराबंकी /
अम्बेडकरनगर / बहराइच / मऊ, उ०प्र०।

श्रम अनुभाग-3
2019

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर,

विषय :- 07-गंगोह (सहारनपुर), 37-रामपुर (रामपुर), 77-इगलास (अ०जा०)
(अलीगढ़), 175-लखनऊ कैन्टोनमेन्ट (लखनऊ), 212-गोविन्दनगर
(कानपुर नगर), 237-मानिकपुर (चित्रकूट), 248-प्रतापगढ़
(प्रतापगढ़), 269-जैदपुर (अ०जा०) (बाराबंकी), 280-जलालपुर
(अम्बेडकरनगर), 282-बलहा (अ०जा०) (बहराइच) तथा 354-घोसी
(मऊ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उप निर्वाचन, 2019 में मतदान
के अवसर पर कारखानों कार्यरत कर्मकारों को मतदान की सुविधा
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन
अधिकारी उ०प्र० के पत्र संख्या-1723/सीईओ-2-20/2-2019 दिनांक
21.09.2019 एवं पत्र संख्या-1756/सीईओ-2-07/2-2019 दिनांक 24.09.2019
की छायाप्रति संलग्न का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने क्षेत्र में कारखानों
में कार्यरत कर्मकारों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप निर्वाचन हेतु भारत
निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की प्रेस नोट संख्या-ECI/PN/84/2019 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

21.09.2019 में विनिर्दिष्ट मतदान दिवस दिनांक 21.10.2019 (सोमवार) को निर्वाचन क्षेत्र 07-गंगोह (सहारनपुर), 37-रामपुर (रामपुर), 77-इगलास (अ०जा०) (अलीगढ़), 175-लखनऊ कैंटोनमेन्ट (लखनऊ), 212-गोविन्दनगर (कानपुर नगर), 237-मानिकपुर (चित्रकूट), 248-प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), 269-जैदपुर (अ०जा०) (बाराबंकी), 280-जलालपुर (अम्बेडकरनगर), 282-बलहा (अ०जा०) (बहराइच) तथा 354-घोसी (मऊ) में होने वाले मतदान पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10 /2019/ 1554 (1)/36-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।
2. सम्बन्धित अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ०प्र० (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)।
3. प्रमुख सचिव, निर्वाचन, उ०प्र० शासन/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ, चतुर्थ तल, विकास भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/निदेशक, दूरदर्शन तथा निदेशक, आकाशवाणी को जनसाधारण को सूचना हेतु प्रचार-प्रसार के लिए।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।